संख्या /54–1–12/1(समादेश)/2009 टी.सी.

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,**
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (डब्ल्यूसीडीसी)
(जनपद गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, शामली व कासगंज को छोड़कर), उ0प्र0
2. **आयुक्त एवं प्रशासक,**
शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन परियोजना,
23सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।
3. **अध्यक्ष एवं प्रशासक,**
रामगंगा समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन परियोजना,
पाण्डु नगर, कानपुर।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–1 (समादेश बन्धु) : लखनऊ : दिनांक 12 दिसम्बर, 2012

विषय– **आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने हेतु निर्धारित 1% धनराशि के सापेक्ष पीआईए स्तर पर नियत 60% धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में।**

महोदय,

शासनादेश संख्या 724/54–1–12/1(समादेश)/2009टीसी दिनांक 03.10.2012 द्वारा समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 (संशोधित–2011) में प्रावधानित व्यवस्था के अनुरूप समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने हेतु ***पीआईए स्तर पर*** निम्न चिन्हित एक्टीविटीज को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने का निर्देश निर्गत किये गये हैं।

S. No.	Activity	Name of Agency	Time Limit
1.	Group meetings in all conected village of the Gram Sabha for formulation of WC.	PIA in consultation with Gram Sabha	2 Months
2.	Identification of EPA Activities.	PIA in consultation with Gram Sabha	
3.	Collection of Secondary Data	PIA	2-3 Months
4.	Procurement/ Collection of revenue Map	PIA	
5.	Collection of Khasra list	PIA	2-3 Months
6.	Inter Department co-ordination	PIA	
7.	Convergence Meeting	PIA	
8.	Institutional Department	PIA	3-6 Months
9.	Various user Agreement	PIA	
10.	PRA Exercies	PIA	4-8 Months
11.	Baseline/ HH Survey	PIA	
12.	GPS Survey/ Topographical Survey	PIA	
13.	Net Planning	PIA in consultation with Gram Sabha	4-8 Months
14.	Scintific Planning	PIA	
15.	Hydrological Survey	PIA	
16.	Treatment Plan Map	PIA	upto 9 Months
17.	Preparation of various Annual Action Plan	PIA	
18.	Estimate and Design	PIA	
19.	WC/GP wise Project file	PIA	9-11 Months
20.	Gram Sabha Approval	PIA	12 Months
21.	Submission of Plan for WCDC approval	PIA	
22.	Submission of DPR to SLNA	PIA	

Contd....../

2. *शासनादेश संख्या 724/54–1–12/1(समादेश)/2009टीसी दिनांक 03.10.2012* के प्रस्तर–3 में भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना लागत में डीपीआर की मात्रागत धनराशि की अधिकतम सीमा 60% पीआईए द्वारा व्यय किए जाने की अनुमन्यता प्रदान की गयी है। अतः उक्त गतिविधियों के सापेक्ष पीआईए स्तर पर डीपीआर हेतु निर्धारित 01% धनराशि के सापेक्ष 60% की धनराशि का विभाजन यात्रा व्यय; ईंधन व्यय एवं कार्यालय व्यय मदों में निम्नानुसार किया जाता है :–

(I)　यात्रा व्यय　–　0.10 प्रतिशत
(II)　ईधन व्यय　–　0.10 प्रतिशत
(III)　कार्यालय व्यय　–　0.40 प्रतिशत

कार्यालय व्यय में स्टेशनरी, बैठकें, सर्वे, नियोजन, मानचित्रों के एकत्रीकरण तथा प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट (पी.पी.आर.) तैयार करने में हुआ व्यय सम्मिलित होगा। ***यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त व्यय सीमा प्रत्येक मद के लिए अधिकतम व्यय सीमा है।*** निर्धारित धनराशि व्यय करने में भारत सरकार द्वारा आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 (संशोधित–2011) के प्रावधानों एवं समय–समय पर निर्गत अन्य दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त विभागीय नियमों, समस्त शासकीय आदेशों एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यदि उपरोक्त तीनों मदों हेतु निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा में स्थानीय आवश्यकता के कारण, अपरिहार्य परिस्थितियों में, ***आन्तरिक परिवर्तन*** प्रस्तावित हो तो इसका पूर्वानुमोदन ***डब्ल्यूसीडीसी*** द्वारा प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा एवं इसे दृष्टान्त नहीं माना जाएगा।

3. *शासनादेश संख्या 724/54–1–12/1(समादेश)/2009टीसी दिनांक 03.10.2012* में चिन्हित एक्टीविटीज, (1) Digitalization of map (2)Preparation of various maps (3) Rectification of Satelite Data with Ground Realities (4) Compilation/Tabulation (5) Data analysis and Development strategic plan (6)DPR writing, Printing and documentation, का सम्पादन बाह्य संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। इस हेतु कन्सलटेन्ट/एजेन्सी के चयन हेतु एसएलएनए स्तर पर पृथक से ई.ओ.आई./आर.एफ.पी. की कार्यवाही की जा रही है। उक्त एक्टीविटीज के सापेक्ष बाह्य संस्थाओं के लिए डीपीआर हेतु निर्धारित 01% की धनराशि के सापेक्ष 40% की धनराशि का निर्धारण किया गया है।

4. *शासनादेश संख्या 724/54–1–12/1(समादेश)/2009टीसी दिनांक 03.10.2012* के प्रस्तर–3 में यह उल्लिखित किया गया था कि पीआईए द्वारा सम्पन्न की जाने वाली गतिविधियों से सम्बन्धित आवश्यक रूप पत्र भी अलग से उपलब्ध कराये जाएगें। तद्नुसार उक्त गतिविधियों के सम्बन्ध में सूचनायें एकत्र करने के लिये प्रारूप विकसित कर लिये गये हैं, जिन्हें विभागीय वेबसाईट http://upldwr.up.nic.in पर अपलोड किया जा चुका है। सम्बन्धित पी.आई.ए. उक्त प्रारूपों को डाउनलोड कर, उन पर सूचनायें संकलित कर, निर्धारित समयावधि में पूर्ण शुद्वता के साथ डी.पी.आर. तैयार कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्तानुसार अनुपालन हेतु समस्त पी.आई.ए. को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या 890(1)/54–1–12/1(समादेश)/2009 टी.सी. तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1– स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
2– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0शासन।
3– कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
4– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, (जनपद गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, शामली व कासगंज को छोड़कर)
5– समस्त उप निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश।
6– प्रशासनिक अधिकारी, स्टेट लेविल डाटा सेन्टर, 23 सी, गोखले मार्ग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय बेवसाइट http://upldwr.up.nic.in पर अपलोड कराये तथा समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष डब्ल्यूसीडीसी को **ई–मेल** के माध्यम से भी सूचित करें।
7– गार्ड फाइल।

12.12.12
(आनन्द कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी